



MAHARAJGANJ POLICE

सराहनीय कार्य का विवरण- दिनांक 11.02.2025



- *1. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-*** जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ***157*** वाहनों का चालान किया गया।
- *2. शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-*** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- ***14*** व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-170 वीएनएस मे गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया
- *3. "मिशन शक्ति अभियान"-*** मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन के प्रति महिलाओं बालिकाओं में सुरक्षा व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महाराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को नारी सशक्तिकरण के प्रति किया गया जागरूक।
- *4. पैदल गश्त अभियान-*** श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपदीय पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बों में स्थित बैंक, एटीएम, ग्राहक सेवा केन्द्रों एवं अन्य वित्तीय प्रतिष्ठानों आदि के सुरक्षार्थ सघन चेकिंग अभियान चलाकर आस-पास खड़े संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की गई। नागरिकों एवं आम जनमानस से संवाद स्थापित कर प्रमुख चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया, जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। जनपदीय पुलिस द्वारा धारा 34 पुलिस एक्ट मे ***28*** व्यक्तियों के विरुद्ध व 110 जी मे ***05*** व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।
- *5.*** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों, कास्तकारों, किसानों के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठकें कर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी।

6. आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त बिंदर यादव पुत्र रामकिशुन निवासी बड़हरा कन्हई, थाना पुरन्दरपुर, जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 शीशी अवैध देशी बंटी बबली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 26/2025 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त गोविन्द पुत्र राजेन्द्र निवासी डोमाखास, थाना निचलौल, जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 45/2025 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त हीरालाल पुत्र बलिराम निवासी लेहड़ा टोला बगौली, थाना बृजमनगंज, जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 36/2025 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना सिंदुरिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त परवेश पटेल पुत्र सतीश पटेल निवासी ग्राम मुजहना बुजुर्ग, थाना सिंदुरिया, जनपद महाराजगंज के कब्जे से 15 पाउच टेट्रा पैक बंटी बबली अवैध शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 25/2025 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त नधई पुत्र परभू निवासी ग्राम कोहरगड्डी, थाना परसामलिक, जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 शीशी अवैध नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 16/2025 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गैंगेस्टर एक्ट में की गयी कार्यवाही-

थाना पनियरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1- कमलेश उर्फ कल्ले पुत्र बिंदल (उम्र 34 वर्ष) निवासी बोक्टा टोला डिहवा, थाना गीडा, जनपद गोरखपुर 2- बृजेश साहनी पुत्र स्व0 तुफानी (उम्र 24 वर्ष) निवासी जिन्दापुर टोला केवटनवा, थाना पीपीगंज, जनपद गोरखपुर 3- विष्णु निषाद पुत्र रामसावर निषाद (उम्र 24 वर्ष) निवासी ग्राम तेनुहारी, थाना गीडा, जनपद गोरखपुर 4- अजय उर्फ खदेरू साहनी पुत्र रामदयाल साहनी (उम्र 26 वर्ष) निवासी बोक्टा टोला डिहवा, थाना गीडा, जनपद गोरखपुर। अभियुक्तगण द्वारा साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ के लिए विभिन्न स्थानों पर अवैध शस्त्रों के साथ चोरी, लूट की घटना कारित करने के अपराध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 49/2025 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा. न्यायालय प्रेषित की गयी।

6. विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के निर्देशन में लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- ***14*** विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

***7.* जनपद में *10/11-02-2025* को विभिन्न अपराधों में कुल- *23* अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।**